वरिष्ठजन कल्याण समिति कोटा चित्तौड़ प्रांतीय सम्मेलन में सम्मानित

कोटा, (निसं)। वरिष्ठजन कल्याण समिति कोटा राजस्थान के 16 सदस्य अध्यक्ष राजेंद्र कुमार गौड़ के नृत्य में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम चित्तौड़गढ़ में आयोजित वरिष्ठ नागरिक संस्थान के प्रांतीय सम्मेलन में सम्मिलित हुए।

उक्त जानकारी संस्था के महासचिव यज्ञदत्त हाड़ा व पूर्व अध्यक्ष सी.के.एस परमार ने दी। प्रचार प्रसार सचिव एस.के.अग्रवाल ने बताया कि कोटा दल में राजेंद्र कुमार गौड़, यज्ञदत्त हाड़ा, सुखविंदर सिंह कपूर, डॉक्टर जगदीश शर्मा, बी.एल. नर्सल, शिवकुमार खंडेलवाल, दिलीप नाबर, चेतना माथुर, अर्चना राजावत के अलावा सी.के.एस परमार, सी.पी. झाम्ब, अजय ओबेरॉय सपत्नीक शामिल हुए।

दो दिवसीय आयोजन में सांस्कृतिक संध्या में कोटा समिति के सुनील कुमार जैन, प्रतिमा ओबेरॉय ने सुंदर गीतों की प्रस्तुति देकर सदन को प्रफुलित किया।

वर्ष 25-26 का प्रतिवेदन यज्ञदत्त हाड़ा महासचिव ने प्रस्तुत कर हेल्पलाइन, ग्रीन कोटा-क्लीन कोटा, तथा बाल श्रम बाल विवाह रोकथाम मेडिकल शिविर एवं पी.एम. पी.डी. आए ए. के. अंतर्गत पौधारोपण आदि का उल्लेख किया।

आयोजकों की ओर से प्रांतीय अध्यक्ष भंवर सेठ, महामंत्री मदन खठोड़ आदि ने वर्ष 25-26 की गतिविधियों को प्रशास्ति पत्र देकर सराहा जिसे श्री परमार, श्री राजेंद्र गौ., सुखविंदर सिंह कपूर, अजय ओबेरॉय एवं यज्ञदत्त हाड़ा को दुपट्टा ओढ़ाकर प्रदान किया गया। सम्मेलन सहभागिता के लिए पांच पुरस्कार लॉटरी से निकल गए जिसमें से दो परमार पूर्व अध्यक्ष व प्रतिमा ओबेरॉय सदस्य कोटा समिति को प्राप्त हुए।

प्रांतीय अधिवेशन में 3 वर्ष के लिए आगामी अध्यक्ष भंवर सेठ सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए। सेठ ने महामंत्री के लिए पुन: मदन खठोड को मनोनीत किया।

समारोह की विशेषता थी कि प्रत्येक सत्र के लिए मुख्य अतिथि सांवरिया सेठ भगवान रहे, अति विशिष्ट अतिथियों में मंत्रीगण, विधायक, पूर्व विधायक शामिल रहे। स्थानीय स्काउट गाईड रोवर रेंजर ने एस.एन.आमेठा के नेतृत्व में चित्तौड़ मंच को सराहनीय सेवाएं दी।

कोटा में अतिक्रमण पर गरजा वन विभाग का पीला पंजा

कोटा, (निसं)। शहर के अनंतपुरा थाना इलाके में सोमवार सुबह वन विभाग ने अतिक्रमण पर एक्शन लिया है। वन विभाग ने एक फार्म हाउस पर पीला पंजा चलाया है जिसमें पक्के निर्माण को ध्वस्त किया गया है। इसके अलावा आंवली रोजड़ी इलाके में भी वन भूमि पर प्लानिंग कर अवैध रूप से प्लॉट बनाकर कब्जे कर रहे लोगों की नींव और निर्माण को भी ध्वस्त किया है। ये दोनों जगह करोड़ों रुपए की है।

कोटा के उपवन संरक्षक अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव ने बताया कि अनंतपुरा के कर्णेश्वर इलाके में वन विभाग की जमीन पर सालों से फिरोज उर्फ भोंदू पठान ने कब्जा किया हुआ था यहां अतिक्रमण के संबंध में जानकारी मिल रही थी। मौके पर पक्का निर्माण किया गया था इसे हटाया गया है। करीब 1000 स्क्वायर फीट में यह कार्रवाई है। भोंदू पठान ने अतिक्रमण किया हुआ था इसने ही दूसरे लोगों के साथ मिलकर इस एरिया में प्लानिंग काट दी थी जिस पर एक्शन हुआ है।

टीम को निर्देशित किया गया था कि आगे के अतिक्रमण को भी चिन्हित किया जाए। इसके पहले इसी इलाके में भोंदू पठान के रिश्तेदार पर भी कार्रवाई की गई थी। मौके पर कार्रवाई करने पहुंचे

कोटा में वन विभाग के द्वारा अतिक्रमण हटाए गए हैं।

लाड़पुरा रेंजर इंद्रेश यादव का कहना है कि कार्रवाई सुबह 6 बजे शुरू की गई थी। भारी संख्या में पुलिस जाप्ता भी मौके पर पहुंच गया था। इसके अलावा वन विभाग की टीम भी पहुंची थी। मशीनरी के जरिए अतिक्रमण को हटाया गया है।

इसी व्यक्ति ने अन्य के साथ मिलकर करीब 50-60 भूखंड आस-पड़ोस में बेचे हुए हैं। ये सभी वन भूमि पर स्थित है। ऐसे में इन लोगों से भी कब्जा वापस लेने के लिए एसीएफ कोर्ट में कार्रवाई की जा रही जल्द ही इन पर से भी कब्जा हटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये करोड़ों रुपए की जमीन है। यहां पिछले चार-पांच साल से अतिक्रमी जमे हुए थे। यहां पर पक्के मकान भी बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही रोजड़ी गांव में भी करीब 5 से 6 हेक्टेयर एरिया में अतिक्रमण हटाया गया है। यहां पर कच्ची नींव लोगों ने डाल ली थी और जमीन पर लगातार अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा था। यहां पर भी जाप्ते ने पूरी तरह से घेराबंदी करने के बाद अतिक्रमण को तोड़कर, जगह को कब्जे में लिया है। मौके पर अतिक्रमण हटाने का कुछ विरोध भी हुआ लेकिन पुलिस बल मौजूद रहने के कारण अतिक्रमियों की ज्यादा चल नहीं पाई।

'प्रो.चतुर्वेदी का जीवन सेवा संगठन और कार्यकर्ताओं को समर्पित था'

कोटा, (निसं)। प्रो.ललित किशोर चतुर्वेदी सुचिता की राजनीति के प्रवर्तक थे उन्होंने 1965 में फिजिक्स के प्रोफेसर पद से त्यागपत्र देकर राजनीति में सेवा का मिशन लेकर आये और अपना सारा जीवन सेवा संगठन और कार्यकर्ताओं को समर्पित कर दिया था।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपने वक्तव्य में प्रो. चतुर्वेदी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा। प्रो पहले जनसंघ और बाद में भाजपा के कद्दावर नेता रहे, उन्होंने ओम बिरला, भवानी सिंह राजावत, किरोड़ीलाल मीना गुलाब चंद कटारिया, अरुण चतुर्वेदी, सतीश पुनिया जैसे अनेक नेताओं को तैयार किया और उंगली पकड़ कर राजनीति की सीढ़ियां चढ़ाई। यह बात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कही। प्रो. चतुर्वेदी राजस्थान की विधानसभा में 21 साल 1977 से 1998 तक कोटा से विधायक रहे।

राजस्थान सरकार में 1977 से 1980, 2000 से 2002 व 2003 से 2008 तक 11 साल केबिनेट मंत्री रहे। 2 बार 1988-89 व 2004-06 तक भाजपा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2004 से 2010 तक राज्यसभा सांसद रहे। जिनका 5 अप्रैल 2015 को महाप्रयाण हुआ।

सार-समाचार

अवैध हथियार सहित आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। बूढ़ादीत पुलिस टीम ने गश्त के दौरान मुखबीर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए अवैध हथियार बंदुक टोपीदार एक नाली मय 11 छर्रे सहित आरोपी को गिरफ्तार किया। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि अवैध हथियारों की तस्करी व तस्करों की धरपकड़ के लिये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि पुलिस उपअधीक्षक वृत इटावा ओमप्रकाश सरावग के सुपरविजन में बूढ़ादीत थानाधिकारी दीप्ती रानी के नेतृत्व में अवैध हथियार के विरूद्ध कार्यवाही को अंजाम दिया गया। थाने के सहायक उप निरीक्षक नन्द लाल सेनी मय जाप्ता इलाके में गश्त व चैकिंग कर रहे थे, गश्त के दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर घुम रहा है, जिस पर पुलिस टीम ने ग्राम गांवडी का कच्चा रस्ता सरकारी स्कूल के सामने पहुंचकर मुखबीर द्वारा बताये गये हुलिये के आधार पर मौके पर खड़े व्यक्ति को डिटेन कर उसके पास से एक बंदूक टोपीदार एक नाली व तलाशी में 11 छर्रे बरामद किये। पुलिस टीम ने मौके पर आर्म्स एक्ट में कार्यवाही करते हुए डीपरी कालीसिन्ध निवासी लेखराज (33) को गिरफ्तार किया, पकड़े गये आरोपी से अनुसंधान जारी है।

'गेहूं खरीद केन्द्रों का नियमित निरीक्षण करें'

कोटा, (निसं)। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने रबी विपणन सीजन 2026-27 के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं खरीद की समीक्षा करते हुए जिले के सभी खरीद केंद्रों पर पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान में गेहूं की खरीद केवल राज्य के मूल काश्तकारों के लिए ही निर्धारित है। अन्य राज्यों, विशेषकर समीपवर्ती मध्य प्रदेश (एमपी) से गेहूं के अवैध आवागमन और पुनर्चक्रण (रिसाइकिलिंग) को रोकने के लिए जिले की सीमाओं पर चेक पोस्ट बनाई जा रही है। इन चेक पोस्टों के माध्यम से गेहूं के परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी ताकि बाहरी गेहूं जिले के खरीद केंद्रों पर न आ सकें। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले के निर्धारित 70 केंद्रों में से शेष रहे सभी केंद्रों पर शीघ्र गेहूं की खरीद शुरू की जाए। किसानों की सुविधा के लिए ई-पीडीएस पोर्टल पर स्लॉट बुकिंग की जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए ताकि किसान समय पर अपनी उपज बेच सकें। उपखंड अधिकारियों (एसडीओ) को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र के खरीद केंद्रों का नियमित निरीक्षण एवं प्रभावी पर्यवेक्षण करें। जिला कलेक्टर ने सभी एजेंसियों को संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ कार्य करने तथा किसानों को छाया, पानी एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले मरीजों के वरदान है टीम जीवनदाता

कोटा, (निसं)। टीम जीवनदाता शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्र के मरीज और उनके परिजनों के लिए मार्गदर्शक बनते हुए वरदान साबित हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग एसडीपी की प्रक्रिया के बारे में ज्यादा नहीं जानते लेकिन टीम जीवनदाता उनकी हर संभव मदद करती है। लायंस क्लब कोटा टेक्नो के निदेशक व टीम जीवनदाता के संरक्षक व संयोजक भुवनेश गुप्ता ने बताया कि जगदीश मीणा को एबी पॉजीटिव एसडीपी की आवश्यकता थी, मरीज के परिजन नरोत्तम परेशान हो रहे थे, ऐसे में अस्पताल स्टॉफ ने टीम जीवनदाता से सम्पर्क करने के लिए कहा, उसके बाद वह अपना ब्लड सेंटर तलवंडी पहुंचे और एसडीपी के लिए कहा। टीम द्वारा सुरेश भंडारी से सम्पर्क किया गया। भंडारी वेलनेस कोच हैं और लोगों को अपनी मोटिवेशनल स्पीच से जागरुक करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उन्होंने एसडीपी की प्रक्रिया को लोगों के साथ जुड़कर ऑल लाइन दिखाया। यह दृश्य देख सभी बेहद प्रसन्न हुए और सभी ने मदद करने का संकल्प लिया। सुरेश भंडारी लायंस क्लब कोटा टेक्नो के सदस्य व पूर्व कोषाध्यक्ष भी है , उन्होंने 15वीं बार एसडीपी डोनेट की, वह 10 बार ब्लड डोनेशन भी कर चुके हैं।

अभद्र वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले गिरफ्तार

छबड़ा (निसं)। पुलिस ने निपानिया स्थित कटारमल मंदिर पर अभद्र वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वालो को गिरफ्तार किया है। सीआई राजेश खटाना के अनुसार मन्दिर संस्थापक प्रशांत विजवर्गीय द्वारा पेश किए परिवाद में बताया था कि निपानियां के कटारमलजी महाराज के मंदिर परिसर मे गुड्डु (गोविन्दा) व अन्य महिला द्वारा मंदिर परिसर मे जाकर अभद्र वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए है, जिससे रोष व्याप्त है। जिस पर पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए अजीबुर्रहमान उर्फ गुड्डु उर्फ गोविन्दा निवासी गांधी नगर टॉवर कॉलोनी व महिला निर्मला बाई निवासी वार्ड नम्बर 11 फाटक नम्बर 56 बागडी मोहल्ला धानमण्डी के पीछे अटरू को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय से पाबंद करवाया गया। पुलिस द्वारा आमजन से अपील है कि किसी भी धार्मिक स्थल आदि मे जाकर ऐसा कोई वीडियो आदि ना बनाये व ना ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करे, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत होती है, यह करना दंडनीय अपराध है।

नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आज

कोटा, (निसं)। अभिभाषक परिषद के सभागार में मंगलवार को निशुल्क स्वास्थ्य जांच परीक्षण शिविर आयोजित किया जायेगा, अभिभाषक परिषद के महासचिव एडवोकेट शम्भू सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि अभिभाषक परिषद के सभागार में मंगलवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया जायेगा, जिसमें ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, नेत्र जांच सहित अन्य जांच की जायेगी। इस मौके पर रक्तदान भी किया जायेगा।

स्थाई वारंटी गिरफ्तार

छबड़ा (निसं)। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने के प्रकरण में 8 साल से फरार चल रहे स्थाई वारंटी को गिरफ्तार किया है।पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के प्रकरण में फरार चल रहे स्थाई गिरफ्तारी वारंटी रामस्वरूप मीणा (55) पुत्र अमरलाल निवासी लालजी का चक थाना धरनावदा जिला गुना मप्र को गिरफ्तारी कर न्यायालय में पेश किया।

पांच साल से वांछित ईनामी गांजा तस्कर को भीलवाड़ा से किया गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। शहर की विशेष पुलिस टीम ने आरकेपुरम् थाने में दर्ज गांजा तस्करी के प्रकरण में फरार चल रहे ईनामी आरोपी को भीलवाड़ा से गिरफ्तार किया है। शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि 9 जून 2021 को थानाधिकारी थाना आरकेपुरम् को सूचना प्राप्त हुई की भीलवाड़ा नम्बर का एक ट्रक का चालक उड़ीसा की तरफ से मध्यप्रदेश होते हुए राजस्थान के बारां से कोटा जिले की सीमाओं से होते हुए गांजा लेकर आने वाला है।

उक्त सूचना पर थानाधिकारी थाना आरकेपुरम् ने मय जाप्ते के नयागांव पुलिया के पास फोरलेन पर पहुँचकर नाकाबन्दी प्रारम्भ की, कुछ देर में नयागांव पुलिया एक भीलवाड़ा नम्बर का ट्रक दिखाई दिया, जिसे जाप्ते की मदद से रोककर ट्रक चालक का नाम पुछा तो उसने अपना नाम सूरज, उम्र 32 साल निवासी बापू नगर रायला जिला भीलवाड़ा होना बताया तथा उक्त गाड़ी में कट्टों में भरे हुए माल अमचूर को जगदलपुर, छतीसगढ़ से जयपुर ले जाना बताया, उक्त ट्रक में भरे हुए माल की तलाशी ली गई तो 316 अमचूर के कट्टो के अलावा 04 प्लास्टिक के अन्य कलर कट्टे मिले, जिन्हें खोलकर चैक करने पर कट्टों में गांजा भरा मिला, जिसका वजन करवाये जाने पर कुल 165 किलो गांजा निकला, उक्त अवैध मादक पदार्थ के परिवहन के संबंध में ट्रक चालक से पूछताछ की तो चालक ने बताया की मेरे परिचित अयुब खान निवासी करजालिया, भीलवाड़ा ने जरिये मोबाईल बताया की तुझे जगदलपुर, छतीसगढ़ गांजा लेकर आना है, उक्त प्रकरण में ट्रक चालक को मय अवैध मादक पदार्थ गांजे के साथ मौके पर ही गिरफ्तार किया जाकर जेल दाखिल करवाया गया था, तथा दूसरे अभियुक्त अयुब खान प्रकरण के बाद से ही फरार चल रहा था। उक्त अपराधी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा अपराधी के निवास स्थल, गांव एवं अन्य सम्भावित स्थानों पर काफी बार तलाश कर दबिश दी गई, परन्तु अपराधी शातिर होने से हर बार पुलिस से बच निकलता था, उक्त अपराधी के विरूद्ध एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट एवं मारपीट की धाराओं कुल 08 प्रकरण दर्ज है, उक्त अपराधी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए 3,000/- रूपये नगद ईनाम की घोषणा की गई थी।

अपराधी की गिरफ्तारी:- शहर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उक्त अपराधी की गिरफ्तारी हेतु गठित विशेष टीम द्वारा उसके निवास स्थान एवं अन्य सम्भावित स्थलों लगातार तलाश कर अपराधी की गतिविधियों के बारे में जानकारी हेतु मुखबिर मामूर किये गये, अपराधी काफी शातिर प्रवृति का है, उक्त अपराधी के बारें के संकलित आसूचना एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त अपराधी वर्तमान में तगरपालसा, थाना तगरपालसा जिला विशाखापतम, आध्र प्रदेश में अपनी पहचान बदल कर रह रहा है, तथा वहां पर आईसक्रीम बेचने वाली गाड़ी एवं पॉप कॉन बेचने वाली की गाड़ी संचालित करने के कार्य रहा है, उक्त अपराधी उक्त कार्य की आड में आध प्रदेश एवं अन्य राज्यों से राजस्थान की और आने वाले ट्रकों से तस्करी का कार्य रह रहा है। साईबर सेल द्वारा संकलित आसूचना एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार सूचना दी की उक्त अपराधी वर्तमान में भीलवाड़ा शहर में आया हुआ है तथा इसका आवागमन भीलवाड़ा एवं गांव करजालिया जिला आसीन्द भीलवाड़ा में है। उक्त सूचना पुख्ता होने पर टीम ने भीलवाड़ा में दबिश देकर अयुब खान निवासी करजालिया, थाना आसीन्द, जिला भीलवाड़ा हाल तगरपालसा, थाना तगरपालसा, जिला विशाखापतम, आन्ध्र प्रदेश को डिटेन कर प्रकरण में गिरफ्तार किया।

नववर्ष मिलन समारोह आयोजित

कोटा, (निसं)। सनाढ्य ब्राह्मण पंचायत तड़ मिश्रान मन्दिर श्री भगवान रणछोड़ लाल जी महाराज नीलकण्ठ महादेव मन्दिर के पास रेतवाली कोटा द्वारा होली मिलन, हिन्दू नववर्ष स्नेह मिलन समारोह एवं वरिष्ठजन सम्मान समारोह उत्साह व उमंग के साथ श्री बालाजी का मंदिर देहड़ा धाम साबरमती कॉलोनी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संदीप शर्मा विधायक, कोटा दक्षिण रहे। अध्यक्षता गोविंद शर्मा, अध्यक्ष, ए.आर. सनाढ्य ब्राह्मण महासभा एवं विशिष्ट अतिथि अरविन्द कौशल प्रदेश अध्यक्ष, सनाढ्य ब्रा. महासभा, राज., ममता तिवारी अतिरिक्त संभागीय आयुक्त केडीए, नरेन्द्र शर्मा रजिस्ट्रार रहे।

'किसानों को मजबूर किया जा रहा है कि वे अपना गेहूं ओने पौने दामों पर व्यापारियों को बेच दें'

- **मनोज दुबे ने चेतावनी देते हुए कहा की किसानों के गेहूं की पूरी खरीद नहीं हुई तो किसान सड़कों पर उतरेंगे**

कोटा, (निसं)। भारतीय राष्ट्रीय किसान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज दुबे ने किसानों के गेहूं की पूरी खरीद करने की मांग करते हुए गेहूं खरीद कोटे मे कटौती को किसान विरोधी निर्णय बताया है। एमएसपी पर गेहूं खरीद पर राशनिंग से किसान परेशान है। सरकार एक बीघा पर साढ़े 6 क्विंटल गेहूं ही खरीदेंगी। इस फैसले से किसान को बाकी गेहूं पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मनोज दुबे ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार मे मंडियों मे गेहूं की एमएसपी पर खरीद और बोनस सिर्फ छलावा बनकर रह गया है। मंडियों में अधिकारियों, व्यापारियों व बिचौलियों की मिलीभगत से सुनियोजित लूट मची है। किसान खून के आंसू रो रहा है, और भाजपा की पर्ची सरकार तमाशबीन बनी बैठी है। मनोज दुबे ने कहा कि सदन में मुख्यमंत्री गेहूं का समर्थन मूल्य 2735 बताकर वाहवाही लूटते हैं, और दूसरी तरफ भाजपा सरकार क्वालिटी के नाम पर 99 प्रतिशत गेहूं खरीद से खारिज करती है। किसानों को मजबूर किया जा रहा है कि वे अपना गेहूं ओने पौने दामों पर व्यापारियों को बेच दें।

मनोज दुबे ने कहा कि सरकारी गोदाम खाली पड़े हैं, और मंडियों में रोजाना लाखों कट्टों की खरीद हो रही। ये सीधी-सीधी संगठित लूट और भाजपा सरकार की नाकामी है। किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें आर्थिक रूप से तोड़कर लूटा जा रहा है। मनोज दुबे ने चेतावनी देते हुए कहा की किसानों के गेहूं की पूरी खरीद नहीं हुई तो किसान सड़कों पर उतरेंगे।

उत्कृष्ट कार्य करने वाली शहर की प्रतिभाओं का सम्मान

कोटा, (निसं)। कोटा डेवलपमेंट फोरम के रविवार को डीसीएम रोड स्थित एक होटल में कोटा गौरव सम्मान 2026 का आयोजन किया गया। यह समारोह कोटा के उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को सम्मानित रहा, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देते हुए शहर के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री एवं कोटा उत्तर विधायक शांति कुमार धारीवाल ने कहा कि कोटा के विकास को रोकने के लिए कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। कोटा को हेरिटेज चम्बल रिवरफ्रंट का हक कोटा को दिया। कोटा को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम किया है। कोटा में पर्यटक आ रहे हैं। इस अवसर पर के.डी.एफ के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. टी.सी. मेहता, अध्यक्ष डीएन नैनानी, उपाध्यक्ष आशा शर्मा, महासचिव कचन ठाकुर ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने शहर की विभिन्न क्षेत्रों की विभूतियों को विशिष्ट योगदान के लिए कोटा गौरव सम्मान से सम्मानित

- **कोटा को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का किया काम : धारीवाल**

कोटा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान किया गया है।

किया गया। समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी आकर्षण बढ़ाया। उमंग भार्गव एवं तुलसी सरदार ने नृत्य प्रस्तुत किया। दीपक त्यागी, आलोक मंडल एवं कचन ठाकुर को संगीतय प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। कार्यक्रम का संचालन कंचन ठाकुर ने किया एवं एडवोकेट कल्पना शर्मा ने आभार जताया।

कोटा उत्तर के विधायक एवं पूर्व यूडीएच मंत्री शांति कुमार धारीवाल, विष्णु साबू, ताराचंद गोयल, गोविंद महेश्वरी, डॉ. अशोक शारदा, लक्ष्मण नैनानी, नारायण कालानी, डॉ.समीर मेहता, डॉ.सपना मेहता, प्रवीण भंडारी, गोविंदराम मित्तल, राजेन्द्र अग्रवाल, प्रेम भाटिया का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में डॉ.नीता जैन, आदित्य के.जैन, डॉ.संजय भार्गव, विनोद अजवानी, गोपाल सप्रा, डॉ.जीएल मालव, शिवराज कुमार, राजकमल ऐरन, वसंत पाटिल, जयश्री पाटिल, बी.एस. वर्मा, कर्नल आरएम जैन तथा अन्य सदस्य उपस्थित रहे। एस.सी. अग्रवाल, रमाकांत शर्मा, संजय जैन, विनोद अजवानी, राजकमल एरन ने कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया।

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ-15/कृ.भू.रू./2026/2252 **विज्ञप्ति** दिनांक : 17.03.2026

सर्व साधारण को जरिये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम रामचन्द्रपुरा योजना ''लाजपत नगर'' खसरा नं. 195, 198, 199 में स्थित भूखण्ड संख्या सी-177 के नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्राधिकरण कार्यालय में श्रीमती द्वारिका बाई पत्नि स्व. श्री घांसीलाल मीणा निवासी -सी-177, लाजपत नगर, बोरखेड़ा, कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड संख्या सी-177 का पट्टा क्रमांक 8979 दिनांक 18.03.2011 को श्री घांसीलाल मीणा पुत्र श्री फून्दीलाल मीणा के पक्ष में जारी किया गया था। आवेदक द्वारा संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार पट्टेधारी की मृत्यु दिनांक 14.05.2021 को हो चुकी हैं। पट्टेधारी की मृत्यु उपरान्त आवेदक द्वारा रजि. रिलिज डीड दिनांक 08.11.2024, मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं शपथ-पत्र के आधार पर अपने पक्ष में नाम हस्तांतरण चाहा गया हैं।

अत: श्रीमती द्वारिका बाई पत्नि स्व. श्री घांसीलाल मीणा के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा, राजस्थान

क्रमांक-ननिकोटा/उपा.रा./2026/1085-86 दिनांक- 6.4.26

सार्वजनिक आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को जरिये आम सूचना सूचित किया जाता है कि श्री चरणजीत सिंह पुत्र श्री अमरजीत सिंह, निवासी प्लाट नं. ए-599, तलवण्डी कोटा में नगर निगम कोटा की होटल/रेस्टोरेन्ट/मैस उपविधि 2016 के अनुसार "AMAR PUNJABI SWEETS & BAKERS" प्लाट नं. ए-599, तलवण्डी कोटा में होटल संचालन करने की अनुमति चाही गई है।

इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस की अवधि में राजीव गांधी भवन नगर निगम कोटा के ब्लॉक ''ए'' के प्रथम तल के कमरा नं. 238 में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। समयावधि पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी तथा उपविधि 2016 के अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी। सूचित हो।

उपायुक्त राजस्व नगर निगम, कोटा

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा खण्ड कोटा

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन

नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

मुकदमा नम्बर 115/2026

चूंकि श्री कविश कुमार जैन पुत्र चन्द्रप्रकाश जैन, नाकोडा भवन, पीएनबी बिल्डिंग, रामपुरा, कोटा द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रन्यास ''श्री पार्श्वनाथ मानव सेवा चेरीटेबल ट्रस्ट, श्रीजी चौक, बारां जिला बारां'' के प्रन्यास कार्यालय में हुये परिवर्तन को दर्ज अभिलेख करने हेतु जांच किये जाने के लिये प्रपत्र संख्या 8 में आवेदन पत्र दिया है।

अतएव धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुये परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 30 दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निर्णित किया जायेगा तथा जांच प्रपत्र मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जायेगा।

आज दिनांक 02.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया। प्रकरण में आगामी सुनवाई की दिनांक 08.05.2026 है।

सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल

आवश्यक सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण अधिनियम 1970 के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत लाखेरी आवासीय योजना के पंजीकरण योजना वर्ष 2023 के तहत् प्राप्त मध्यम आय वर्ग-अ के 06, कुल 06 सफल आवेदकों के लिये आवास आवंटन लॉटरी जिला आवंटन समिति बून्दी द्वारा ''वैब बेस्ड प्रणाली'' के माध्यम से निम्न कार्यक्रम के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त सभी आवेदकों को नियमानुसार आरक्षण पत्र जारी कर तीन किस्तों में पूर्वग्रहण राशि जमा करवाने हेतु सूचित किया गया था, जिसके अनुसार पूर्वग्रहण राशि जमा उपरान्त चालानों की तृतीय प्रति मय अन्य आवश्यक दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अत: यदि किसी आवेदक द्वारा मांग के अनुरूप पूर्वग्रहण राशि जमा का चालान कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है तो कृपया आक्षेप प्राप्ति दिनांक 10.04.2026 सायं 4.00 बजे तक कार्यालय में जमा करवा देवे अन्यथा उन्हें आवास आवंटन लॉटरी में शामिल नहीं किया जायेगा तथा उनका कोई आक्षेप स्वीकार नहीं होगा।

क्र.सं.	लॉटरी हेतु निर्धारित कार्यक्रम	दिनांक/समय एवं स्थान
1	योग्य/अयोग्य आवेदकों की अस्थायी सूची का प्रकाशन	07.04.2026 सायं 4.00 बजे
2	अस्थायी सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	10.04.2026 सायं 4.00 बजे
3	आक्षेप प्राप्ति के बाद योग्य आवेदकों की अंतिम स्थायी सूची का प्रकाशन	13.04.2026 सायं 4.00 बजे
4	आवास आवंटन लॉटरी का आयोजन	15.04.2026 सायं 3.00 बजे

लॉटरी का स्थान :- कार्यालय आवासीय अभियन्ता, खण्ड कोटा

नोट :- 1. आक्षेप प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि तक यदि कोई आवेदक वांछित सूचना कार्यालय में नहीं देने के कारण प्रस्तावित आवास आवंटन लॉटरी से वंचित रहता है तो इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा। 2. आवास आवंटन लॉटरी हेतु योग्य/अयोग्य आवेदको की सम्पूर्ण सूची मण्डल की वेबसाईट www.rhb.rajasthan.gov.in पर तथा आवासीय अभियन्ता, खण्ड कोटा के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध रहेगीं।

राज.संवाद/सी/26/327 आवासीय अभियन्ता, खण्ड कोटा

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती गुरनाम कौर पत्नि स्व. सरजीत सिंह निवासी भगत सिंह कालोनी, गुरूद्वारा के पास, केशवराय पाटन जिला बून्दी के द्वारा अपने पति सरजीत सिंह की पेंशन सम्बन्धी प्रकरण एवं मकान वाके गुरूद्वारा के पास, के.पाटन जिला बून्दी की वसीयत सरबजीत सिह पुत्र श्री हरबंस सिंह निवासी लेसरदा जिला बून्दी के पक्ष में दिनांक 17.12.2024 को निष्पादित की थी, उक्त वसीयत के आधार पर गुरनाम कौर की मृत्यु के पश्चात सेना से मिलने वाली फेमिली पेंशन की बकाया राशि व उक्त मकान के एक मात्र मालिक वसीयत हकदार सरबजीत सिंह हो गये है। जिसके बाबत यदि किसी प्रकार की कोई आपत्ति किसी को हो तो वह 07 दिन की अवधि में मुझसे सम्पर्क कर अपनी आपत्ति दर्ज करावे। अन्यथा बाद गुजरने मियाद उक्त बकाया पेंशन का भुगतान सरबजीत सिंह प्राप्त कर लेगा एवं उक्त मकान को सम्बन्धित विभाग से अपने नाम हस्तान्तरण करवा लेगा। सूचित हो।

दिनांक 06.04.2026

भवदीय

मनोहर सिंह सोलंकी एडवोकेट, कोटा

मो. 9667791336

आम सूचना

मेरे पक्षकार श्री राजेश मोदी पुत्र श्री भवानी शंकर मोदी आयु 61 वर्ष जाति तम्बोली निवासी संगम होटल के पास, गुमानपुरा, कोटा (राज.) के निर्देशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि मेरे पक्षकार का पुत्र अजय मोदी पुत्र राजेश मोदी मेरे पक्षकार के मकान संगम होटल के पास, गुमानपुरा, कोटा में संयुक्त रूप से निवासरत है, इसका व्यवहार मेरे पक्षकार व उसकी पत्नि श्रीमती मंजू मोदी से प्राय: अभद्र एवं लडाई-झगडे का रहता है जिनसे मेरे पक्षकार के मान-सम्मान, प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है एवं अजय मोदी, मेरे पक्षकार व उसकी पत्नि की कोई देखरेख, सेवा सुश्रुषा नहीं करता है। इसलिए मेरे पक्षकार ने अपनी पत्नि की सहमति से अपने पुत्र अजय मोदी को अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से आज से बेदखल कर दिया हैं एवं उससे सारे संबंध समाप्त कर दिये हैं। भविष्य में कोई भी व्यक्ति अजय मोदी से किसी भी प्रकार का कोई संव्यवहार करता हैं तो इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा, उसमे मेरे पक्षकार व उसकी पत्नि मंजू मोदी का कोई लेना-देना नहीं होगा। सूचित हो।

दिनांक 04.04.2026

भवदीय

अबरार खान एडवोकेट

मो. 9166379786

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-3333 **जाहिर आम सूचना** दिनांक-24.02.26

आवास संख्या 2-एन-30 तलवण्डी, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्रीमती कैलाश बाई पत्नी श्री सत्यनारायण शर्मा को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्रीमती कैलाश बाई पत्नी श्री सत्यनारायण चाष्टा द्वारा दिनांक 23.03.1991 को अपने पक्ष में करवाया गया। श्रीमती कैलाश बाई पत्नी श्री सत्यनारायण चाष्टा की मृत्यु दिनांक 13.08.2013 को एवं इनके पति श्री सत्यनारायण चाष्टा पुत्र श्री नाथूलाल चाष्टा की मृत्यु दिनांक 26.02.2010 को हो जाने के उपरांत इनके वारिसानों में श्रीमती मनीषा चास्टा पत्नी श्री युधिष्ठिर उपाध्याय पुत्र स्व. श्री सत्यनारायण चास्टा द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) आलेखित कर दिनांक 20.01.2020 को श्री ललित कुमार चास्टा पुत्र स्व. श्री सत्यनारायण चास्टा एवं श्री लोकेश कुमार गौत्तम पुत्र स्व. श्री सत्यनारायण के पक्ष में संयुक्त रूप से किया गया। श्री ललित कुमार चास्टा पुत्र स्व. श्री सत्यनारायण चास्टा एवं श्री लोकेश कुमार गौत्तम पुत्र स्व. श्री सत्यनारायण का नाम दिनांक 07.08.2025 को रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) के आधार पर उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्री ललित कुमार चास्टा पुत्र स्व. श्री सत्यनारायण चास्टा एवं श्री लोकेश कुमार गौत्तम पुत्र स्व. श्री सत्यनारायण द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 24.09.2025 को श्रीमती प्रमिला गुप्ता पत्नी श्री राम बाबू गुप्ता को किया गया। श्रीमती प्रमिला गुप्ता पत्नी श्री राम बाबू गुप्ता द्वारा इस कार्यालय मे प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 2-एन-30 तलवण्डी, कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मण्डल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अत: इस आवास के मण्डल अभिलेख में श्रीमती प्रमिला गुप्ता पत्नी श्री राम बाबू गुप्ता का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि इस आवास के मण्डल अभिलेख में श्रीमती प्रमिला गुप्ता पत्नी श्री राम बाबू गुप्ता का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में श्रीमती प्रमिला गुप्ता पत्नी श्री राम बाबू गुप्ता का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-38 **जाहिर आम सूचना** दिनांक-06.04.26

आवास संख्या 2-एन-14 महावीर नगर तृतीय, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र श्री लादूराम शर्मा को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र श्री लादूराम शर्मा द्वारा दिनांक 26.12.2007 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। पंजीयन उपरांत श्री जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र श्री लादूराम शर्मा द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 18.07.2011 को श्रीमती आशा जैन पत्नि श्री सुन्दर लाल जैन को किया गया। श्रीमती आशा जैन पत्नि श्री सुन्दर लाल जैन का नाम दिनांक 01.08.2012 को विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्रीमती आशा जैन पत्नि श्री सुन्दर लाल जैन द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 30.07.2012 को श्री शिवराम मीणा पुत्र श्री कल्लाराम मीणा को किया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री शिवराम मीणा पुत्र श्री कल्लाराम मीणा की मृत्यु दिनांक 14.07.2025 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्रीमती सरवती व श्रीमती कमलेशी पत्नियां स्व. श्री शिवराम मीना एवं श्री हेमन्त मीना व श्री शैलेन्द्र मीना पुत्रान स्व. श्री शिवराम मीना एवं श्रीमती हिमांशु मीना, श्रीमती सुनीता मीना, व श्रीमती कोमल मीना पुत्रिया स्व. श्री शिवराम मीना द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 2-एन-14 महावीर नगर तृतीय, कोटा का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, शपथ पत्र, एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अत: उक्त आवात्त का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, शपथ पत्र, एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्रीमती सरवती व श्रीमती कमलेशी पत्निया स्व. श्री शिवराम मीना एवं श्री हेमन्त मीना व श्री शैलेन्द्र मीना पुत्रान स्व. श्री शिवराम मीना एवं श्रीमती हिमांशु मीना, श्रीमती सुनीता मीना, व श्रीमती कोमल मीना पुत्रियां स्व. श्री शिवराम मीना के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण / प्रतिस्थापन श्रीमती सरवती व श्रीमती कमलेशी पत्निया स्व. श्री शिवराम मीना एवं श्री हेमन्त मीना व श्री शैलेन्द्र, मीना पुत्रान स्व. श्री शिवरान मीना एवं श्रीमती हिमांशु मीना, श्रीमती सुनीता मीना, व श्रीमती कोमल मीना पुत्रिया स्व. श्री शिवराम मीना के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती सरवती व श्रीमती कमलेशी पत्निया स्व. श्री शिवराम मीना एवं श्री हेमन्त मीना व श्री शैलेन्द्र मीना पुत्रान स्व. श्री शिवराम मीना एवं श्रीमती हिमांशु बीना, श्रीमती सुनीता मीना, व श्रीमती कोमल मीना पुत्रिया स्व. श्री शिवराम मीना के नाम कर दिया जायेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा